



75  
Azadi Ka  
Amrit Mahotsav

# केन्द्रीय विद्यालय जामई (जुन्नारदेव) KENDRIYA VIDYALAYA JAMAI (JUNNARDEO)

आदिम जाति कल्याण विभाग शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  
ग्राम : उमरिया फ़दाली, तहसील : जुन्नारदेव (जामई), जिला : छिन्दवाड़ा (म.प्र.) - ४८०५५१

TRIBAL WELFARE DEPARTMENT GOVERNMENT MODEL HIGHER SECONDARY SCHOOL  
VILLAGE: UMARIYA FADALI, TEHSIL: JUNNARDEO (JAMAI), CHHINDWARA (M.P.) - 480551

E-mail : principalkvjamai@gmail.com ई-मेल : principalkvjamai@gmail.com

दिनांक: 01.04.2023

## सूचना

समस्त अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि के.वि.सं.(सु.) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सत्र 2023 -24 के लिए कक्षा दो एवं दो के ऊपर की कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर ही प्रवेश के लिए पंजीकरण दिनांक 03.04.2023 से दिनांक 12 .04.2023 तक (विद्यालय में ऑफलाइन मोड द्वारा) किया जायेगा। इस सन्दर्भ में सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है की विद्यालय में निम्नवत कक्षाओं में ही रिक्त स्थान उपलब्ध है तथा इच्छुक अभिभावक निम्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए पंजीयन फॉर्म विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं या विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है। अभिभावक पूर्ण रूप से पंजीयन फॉर्म भर कर वांछनीय दस्तावेजों को संलग्न कर दिनांक 12.04.2023 सायं 04 बजे तक विद्यालय में ऑफलाइन मोड में जमा कर सकते हैं। सभी प्रवेश के.वि.सं. के सत्र 2023-24 दिशानिर्देशों के अनुसार किये जायेंगे। अपूर्ण एवं समयावधि के बाद जमा किये गए पंजीयन फॉर्म स्वतः निरस्त किये जायेंगे एवं इस सम्बन्ध में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

रिक्तियों का विवरण निम्नवत है :

क्र	कक्षा	संभावित रिक्तियां	आयु (दिनांक 31.03.2023 को)
1	III (कक्षा तीसरी)	02	07 वर्ष से 09 वर्ष
2	IV (कक्षा चौथी)	05	08 वर्ष से 10 वर्ष
3	VI (कक्षा छठवीं)	02 + 02 एकलौती संतान पुत्री	10 वर्ष से 12 वर्ष
4	VIII (कक्षा आठवीं)	06	12 वर्ष से 14 वर्ष

अन्य किसी भी कक्षा में कोईभी रिक्तियां नहीं है।

पूर्ण रूप से भरे हुए पंजीयन फॉर्म के साथ संलग्न किये जाने वाले स्वप्रमाणित दस्तावेजों की सूची:

1. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
2. स्थानीय निवास प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र
4. राशन कार्ड
5. बच्चे का जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
6. बच्चे का आधार कार्ड
7. पिछली कक्षा की अंक सूची
8. एकलौती संतान पुत्री हेतु शपथ पत्र
9. सरकारी सेवारत अभिभावक का सेवा प्रमाण पत्र(पंजीयन फॉर्म में विभागीय अधिकारी द्वारा सत्यापन)
10. अन्य कोई दस्तावेज जिसका अभिभावक द्वारा उल्लेख किया हो